न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 138/2019 (252/2018)
GCMS NO. : **2018/00078**

–:: प्रार्थीगण ::– **बनाम** **–:: अप्रार्थीगण ::–**

1. भंवरकंवर पत्नी छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा हाल मुकाम–गुंदलीखेडा पोस्ट भमाणा तहसील मांडल जिला भीलवाडा।
2. मनोहरकंवर पत्नी अजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा हाल मुकाम–चिताम्बा तहसील मांडल जिला भीलवाडा।
3. नारायण कंवर पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

बनाम

1. जयसिंह पुत्र सज्जनसिंह
2. मानसिंह पुत्र सज्जनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण पृथ्वीपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री एम0एस0 पठान, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 31/08/2023**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का गरनीया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 3–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 40 रकबा 7–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 41 रकबा 3–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 42 रकबा 6–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 43 रकबा 8–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि वाके है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण 2/3 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण के अलावा उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त नहीं है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण ने जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 5/03/2013 को नारायणकंवर पत्नी सुमेरसिंह कौम राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा, तहसील जैतारण से बएवजाने रुपयें 4,50,000/– अक्षरे चार लाख पचास हजार रुपये में खरीद की थी, जिसका एक लिखित पंजीबद्ध बैचान प्रार्थीगण के पक्ष में उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण के यहां पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 76 पृष्ठ संख्या 3 क्रम संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:01 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

2013001988 पर दिनांक 05/03/2013 को पंजीबद्ध हो रखा है। उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान के आधार पर 2/3 हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है व अपने हक–हिस्से की भूमि पर पिछले 5 वर्षो से अधिक समय से काश्त उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। इसमें अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन को बेईमानीपूर्वक हड़पने की नियत से बार–बार दखलांदाजी बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे है व दिनांक 20.05.2018 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा काश्त करने की एलानिया धमकी दी, यदि अप्रार्थीगण जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात् एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का गरनिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 3–00 बीघा किस्म, खसरा नम्बर 40 रकबा 7–07 बीघा, खसरा नम्बर 41 रकबा 3–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 42 रकबा 6–06 बीघा, खसरा नम्बर 43 रकबा 8–04 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल भूमि वाके है उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण 2/3 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग–उपभोग करें, व इसके मुतालिक कुल कार्य करें या करावे, इसमें अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक–हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में जबरदस्ती/बलपूर्वक दखलंदाजी, बाधा एवं बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश करने से अप्रार्थीगण एवं उनके नौकर–चाकर हाली एजेन्ट, परिवार के सदस्य इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो शा. मि. है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सायल संख्या 03 नारायण कंवर की नहीं होकर उक्त भूमि जवाब देहन्दागण की पैतृक पुश्तैनी है तथा वक्त सेटलमेन्ट के समय इस भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार सवाईसिंह पुत्र विजयसिंह जी थे, जिसके सबूत के रूप में जमाबन्दी सवंत् 2019 से 2022 व इसके बाद की जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से इन दस्तावेजात से यह भलिभांति साबित है कि वादग्रस्त भूमि जवाब देहन्दागण के पूर्वज की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि सवाईसिंह के 03 पुत्र थे जिनमें से एक सज्जन सिंह स्वयं तथा दूसरे बड़े भाई सुमेर सिंह व समदर सिंह थे। जिनमें समदरसिंह, भूरसिंह जी के गोद चले गये। तब पीछे से सवाईसिंह के तीन विधिक वारिसान सज्जन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

सिंह, सुमेरसिंह एवं बहिन रामकंवर है। इस प्रकार से उपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में 1/3 वां हक-हिस्सा सज्जनसिंह, 1/3 वां हक-हिस्सा रामकंवर तथा शेष 1/3 वां हिस्सा सुमेरसिंह का रहा है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि में 1/3 वां हक-हिस्सा जवाब देहन्दा संख्या 02 (कानसिंह-नाम डिलिट) व 03(मानसिंह) के पिता व पूर्वज सज्जर सिंह का है तथा उक्त भूमि जवाब देहन्दागण की पैतृक पुश्तैनी है। जवाब देहन्दागण के पूर्वज सवाईसिंह के वृद्धावस्था में घर का कर्ताधर्ता व मुखिया उनके सबसे बड़े पुत्र सुमेरसिंह थे, सुमेरसिंह ने जवाब देहन्दागण व उनके पिता को इस वादग्रस्त भूमि से वंचित करने की नियत से वर्ष 1970 में एक कूटरचित नामान्तरण संख्या 30 अपनी पत्नि नारायण कंवर के नाम तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलकर भरवा दिया तथा उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत से बाले-बाले स्वीकृत भी करवा लिया था। नामान्तकरण में बक्शीशनामा का उल्लेख करते हुये वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में नारायण कंवर के नाम दर्ज कर दी थी। जबकि जवाब देहन्दागण के पूर्वज सवाईसिंह ने अपने जीवन काल में नारायण कंवर के पक्ष में किसी प्रकार का कोई बक्शीशनामा नहीं लिखा था न ही सवाईसिंह ने वादग्रस्त भूमि नारायण कंवर को बक्शीश में दी थी। इस विवादित नामान्तकरण संख्या 30 में बक्शीशनामा रजिस्टर्ड होने का उल्लेख है। जिसे रद्द घोषित करवाने एवं अपने खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत् सज्जन सिंह ने पूर्व में राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। राजस्व वाद संख्या /2013 दर्ज किया जाकर उसमें विधिसमत कार्यवाही की गई। इस प्रकार से इस वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर विक्रेता नारायण कंवर स्वयं को ही कोई मालिकाना हक अधिकार प्राप्त नही है तो उसके द्वारा किये गये बैचान विलेख से भी प्रार्थीगण भंवरकंवर वगैरह को कोई स्वामित्व प्राप्त नही होता है बल्कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित बैचान विलेख कुटरचित व फर्जी होने से उसे शून्य घोषित करवाने हेतु सज्जन सिंह व अन्य ने समक्ष न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जैतारण के समक्ष 41/2013 पेश किया जिसमें इस वाद के सायल पक्षकार भंवरकंवर व अन्य सभी गैरसायल पक्षकार के रूप में संयोजित है। इस प्रकार से सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। उसके बावजूद भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को छिपाते हुये प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना-पत्र पेश किया, जो कतई गलत है। इस प्रकार से सवाईसिंह की वृद्धावस्था में घर के कर्ताधर्ता व मुखिया सुमेरसिंह थे इस भूमि के कब्जे काश्त बाबत पक्षकारो के बीच कोई विवाद नहीं है। उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने विविध प्रकार की मुकदमेंबाजी होने से एवं अपने आप को अपूरणीय क्षति होने से सम्बन्धित झूठे तथ्य अंकित किये है, जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण जवाब देहन्दागण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। इसलिए [illegible] तथ्यो व परिरिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूरणीय क्षति [illegible] को होगी। प्रार्थीगण ने इस प्रा.पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:01 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रा.पत्र पेश किया है, जो काबिल खारिज होने से खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** वाद–पत्र मय दस्तावेजात, हस्तगत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 3–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 40 रकबा 7–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 41 रकबा 3–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 42 रकबा 6–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 43 रकबा 8–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल को पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। वादपत्र में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2072–2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 39,40,41,42,43 में खातेदार काश्तकार वादिया नारायणकुंवर पत्नी सुमेरसिंह है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध बैचाननामा की प्रतिलिपि के अनुसार तत्कालीन खातेदार नारायण कुंवर पत्नी सुमेरसिंह द्वारा भंवरकंवर पत्नी छोटूसिंह, मनोहरकंवर पत्नी अजीतसिंह एवं प्रकाश कंवर पत्नी ईश्वरसिंह के पक्ष में खसरा नम्बर 39,40,41,42,43 कुल रकबा 27–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल बैचान किया, जिसे दिनांक 05.03.2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में पृष्ठ संख्या 148 क्रम संख्या 2013001988 पर पंजिबद्ध किया गया। वर्तमान भू–अभिलेखीय दस्तावेजों से यह स्पष्ट है वादिया नारायण कंवर वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में न तो सह–खातेदार है व न ही उसका उक्त भूमि पर कोई हक–अधिकार होना प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण उक्त आराजी में एक असंबंधित व्यक्ति है। प्रार्थीगण के सशपथ कथनानुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि प्रार्थिया नारायणकंवर वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित खातेदार है तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजी से असंबंधित व्यक्ति है जो तथाकथित रूप से दखलंदाजी कर रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। अतः यह बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। प्रार्थीगण ने सशपथ कथन किया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी है एवं मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। परन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में हो। जबकि वादिया उक्त आराजी में खातेदार दर्ज है अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः**– प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। साथ ही वादग्रस्त आराजी में यदि कोई अजनबी व्यक्ति दखलंदाजी करता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हम अप्रार्थीगण को प्रश्नगत आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करने व न ही किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा मौजा पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का गरनीया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 1.3274 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी अव्वल में मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी व व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:01 IST
Reason: SelfAttested